भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3259

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

'एक राष्ट्र-एक उर्वरक' पहल

3259. श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री अनिल फिरोजिया:
श्री भोजराज नाग:
श्री विजय बघेल:
श्री आलोक शर्मा:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'एक राष्ट्र-एक उर्वरक' पहल से उर्वरकों के अनावश्यक अंतर-राज्यीय परिवहन, परिवहन लागत और आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को कितना कम किया गया है और इससे किसानों को क्या लाभ हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में भारत ब्रांड के उर्वरकों की उपलब्धता, भंडारण क्षमता और वितरण तंत्र को और सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश और विशेषकर शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान और विशेषकर चित्तौड़गढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त पहल के अंतर्गत किसानों को 'भारत' ब्रांड के उर्वरकों की मांग, आपूर्ति और सुचारू वितरण से संबंधित उर्वरक-वार और राज्य/जिला-वार सांख्यिकीय आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): एक राष्ट्र एक उर्वरक स्कीम 24 अगस्त, 2022 से "प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना" (पीएमबीजेपी) के तहत लागू की गई है। सभी उर्वरक कंपनियों, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों से पूरे देश में "भारत" ब्रांड के तहत सब्सिडी युक्त उर्वरक बेचने की अपेक्षा की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य उर्वरकों की उपलब्धता को बढ़ाना है; बाजारों में उपलब्ध विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित विभिन्न ब्रांड के उर्वरकों में से चयन करने की किसानों की दुविधा को दूर करना है, क्रिसक्रॉस संचलन को कम करना और देश भर में उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। एकल "भारत" ब्रांड के तहत ब्रांडिंग को समेकित करके, यह स्कीम पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, कदाचारों को दूर करती है और फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों तक समान पहुंच सुनिश्चित करती है।

(ख) और (ग): हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।
ii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।
iii. यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात को पहले ही निश्चित कर लिया जाता है ताकि समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
iv. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।
v. राज्यों के लिए रेलगाड़ियों के पर्याप्त रैक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेलगाड़ियों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय किया जाता है।
vi. राज्य के भीतर जिला/ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, पिछले दो वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2024-25 से 2025-26) के दौरान हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के संबंध में जानकारी **अनुलग्नक-क** में दी गई है।

चित्तौड़गढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में मांग और आपूर्ति का विवरण इस प्रकार है:

(मात्रा: एमटी)

	यूरिया		**डीएपी**		**एनपीके**	
वर्ष	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
2024-25	175502	185058	37983	26785	13958	19894
2025-26	183068	197121	41026	39479	19134	26883

जबकि, शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में मांग और आपूर्ति का विवरण इस प्रकार है:

(मात्रा: एमटी)

	यूरिया		**डीएपी**		**एनपीकेएस**		**एमओपी**	
वर्ष	**मांग**	**आपूर्ति**	**मांग**	**आपूर्ति**	**मांग**	**आपूर्ति**	**मांग**	**आपूर्ति**
2024-25	22270	22147	470	454	13000	12692	2300	2249
2025-26	27000	26114	500	482	10000	9739	1100	1079
कुल	49270	48261	970	936	23000	22431	3400	3328

अनुलग्नक-क

यह अनुलग्नक लोक सभा के दिनांक 07.08.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3259 के (ख) और (ग) के उत्तर से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.90	18.68	15.70	4.30	4.80	4.34	1.50	2.38	1.71	16.00	18.36	15.78
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.28	4.48	4.10	0.61	0.70	0.62	0.47	0.80	0.57	0.55	0.63	0.48
5	बिहार	22.87	27.64	25.60	5.50	6.40	5.83	1.50	2.54	1.84	6.00	7.46	6.04
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.90	12.03	10.07	4.10	4.19	3.83	0.73	1.13	0.76	1.80	2.84	2.34
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.23	0.43	0.40	0.01	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03
12	गुजरात	25.60	25.82	24.23	6.25	5.84	5.42	0.99	1.18	0.92	7.00	9.98	8.35
13	हरियाणा	21.50	25.32	22.65	5.80	5.49	5.34	0.60	0.74	0.47	1.70	1.31	1.03
14	हिमाचल प्रदेश	0.71	0.81	0.65	0.01	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.37	0.41	0.32
15	जम्मू और कश्मीर	1.48	2.05	1.36	0.49	0.58	0.43	0.22	0.26	0.14	0.04	0.02	0.01
16	झारखंड	2.65	4.11	3.73	0.90	0.87	0.84	0.06	0.05	0.03	0.65	1.08	0.85
17	कर्नाटक	17.25	22.63	19.17	5.64	6.55	5.86	1.95	3.08	2.21	16.20	25.46	20.90
18	केरल	1.11	1.37	1.15	0.17	0.21	0.20	0.82	1.06	0.83	1.37	1.50	1.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	35.38	42.43	38.09	16.57	12.70	11.66	1.05	1.59	1.08	8.50	11.94	9.77
21	महाराष्ट्र	23.73	32.72	26.41	7.50	7.13	6.47	2.30	3.45	2.22	30.00	37.86	28.79
22	मणिपुर	0.25	0.16	0.14	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
23	मेघालय	0.04	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.08	0.25	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.05	8.15	6.67	2.86	2.83	2.56	0.85	1.11	0.77	2.75	4.04	3.28
27	पुदुचेरी	0.16	0.16	0.15	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.07	0.11	0.08
28	पंजाब	26.50	36.70	32.56	8.10	6.99	6.61	1.00	1.06	0.71	2.50	1.73	1.41
29	राजस्थान	26.20	29.43	26.40	8.50	7.11	6.90	0.21	0.28	0.20	2.25	3.04	2.55
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.91	12.61	10.92	2.70	2.98	2.56	2.24	2.56	1.94	10.54	10.19	8.49
32	तेलंगाना	20.20	22.15	20.08	3.90	3.91	3.64	1.30	1.44	1.14	17.00	17.54	14.97
33	त्रिपुरा	0.18	0.24	0.17	0.04	0.03	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03
34	उत्तराखंड	2.03	2.60	2.31	0.30	0.52	0.40	0.08	0.08	0.04	0.40	0.28	0.21
35	उत्तर प्रदेश	77.00	91.72	79.18	24.05	21.55	19.51	1.72	2.50	1.76	14.50	12.85	10.50
36	पश्चिम बंगाल	13.80	19.05	15.77	3.55	3.62	3.12	2.50	3.41	2.57	11.00	15.25	12.24
	अखिल भारत	**364.01**	**443.83**	**387.92**	**111.92**	**105.14**	**96.29**	**22.21**	**30.85**	**22.02**	**151.29**	**183.98**	**149.72**

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.60	19.22	17.06	4.80	6.32	5.45	1.70	2.22	1.82	15.80	19.06	15.59
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.35	5.13	4.60	0.56	0.95	0.72	0.57	0.78	0.55	0.58	0.55	0.40
5	बिहार	23.82	28.12	25.33	6.10	8.04	6.57	2.00	2.23	1.80	6.00	8.01	5.89
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	10.00	12.41	9.81	4.10	4.29	3.25	1.10	1.33	0.82	2.40	4.34	2.57
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.26	0.25	0.21	0.05	0.05	0.05	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.03	0.03
12	गुजरात	25.02	25.95	23.99	6.30	5.82	5.32	1.09	1.16	0.95	7.45	10.18	8.28
13	हरियाणा	21.67	26.08	23.20	5.53	6.10	5.46	0.58	0.67	0.44	1.57	1.10	0.82
14	हिमाचल प्रदेश	0.66	0.94	0.79	0.02	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.41	0.37	0.28
15	जम्मू और कश्मीर	1.46	2.24	1.60	0.46	0.61	0.43	0.21	0.35	0.21	0.03	0.06	0.02
16	झारखंड	2.90	3.73	3.22	0.80	1.13	0.93	0.07	0.07	0.05	0.65	1.02	0.76
17	कर्नाटक	18.77	21.55	18.85	5.98	7.79	6.09	2.27	3.25	2.46	17.10	27.20	21.35
18	केरल	1.14	1.30	1.14	0.20	0.31	0.22	0.90	1.07	0.87	1.30	1.60	1.25
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	40.42	47.16	42.43	15.00	13.09	11.47	1.50	1.51	1.08	16.50	14.70	11.16
21	महाराष्ट्र	26.77	32.37	27.27	7.20	8.06	5.81	2.70	3.37	2.55	30.00	41.95	29.63
22	मणिपुर	0.20	0.24	0.19	0.03	0.05	0.04	0.06	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
23	मेघालय	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.20	8.94	7.26	2.75	3.42	2.78	0.85	1.11	0.74	3.30	4.39	3.57
27	पुदुचेरी	0.15	0.15	0.14	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.09	0.11	0.08
28	पंजाब	29.92	35.36	31.39	7.35	8.13	6.66	1.10	1.02	0.61	2.00	1.67	1.29
29	राजस्थान	25.52	31.94	28.05	8.43	8.61	7.80	0.20	0.23	0.18	3.00	3.24	2.56
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.87	12.80	11.43	2.95	3.46	2.89	2.60	2.35	2.02	9.25	11.08	8.73
32	तेलंगाना	20.20	21.80	20.94	3.85	4.92	4.38	1.20	1.38	1.04	17.00	18.44	14.74
33	त्रिपुरा	0.18	0.24	0.17	0.03	0.05	0.03	0.04	0.05	0.02	0.05	0.05	0.03
34	उत्तराखंड	2.01	2.49	2.21	0.30	0.67	0.48	0.07	0.09	0.04	0.35	0.21	0.17
35	उत्तर प्रदेश	79.92	91.75	80.37	24.00	25.30	20.25	2.75	2.89	1.91	12.50	14.80	10.01
36	पश्चिम बंगाल	14.30	18.43	14.76	3.59	4.47	3.65	3.20	3.35	2.34	11.10	14.80	11.14
	अखिल भारत	**381.45**	**450.79**	**396.60**	**110.42**	**121.72**	**100.80**	**26.82**	**30.58**	**22.56**	**158.49**	**198.97**	**150.37**